संसद को याचिका को तमाम निर्माण
श्रमिकों की ओर से प्रेषित स्मरण पत्र ।

श्रीमान्

1. हम, निर्माण श्रमिक, लगातार देश के विकास व उत्थान में अपना योगदान कर रहे है । फिर भी हम असुरक्षा व अनिश्चितता की स्थितियों में अपना श्रम बेचने हैं । एक वर्ग के रूप में हमारे अधिकारों व हितों की रक्षा तथा हमारे मंगल-कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कोई कानूनी तरीका नहीं है। हमारी इन उपेक्षित दशाओं को समाप्त करना सम्पूर्ण समाज का मानवीय कर्त्तव्य है और इसी परिपेक्ष्य में हम देश भर के तमाम निर्माण श्रमिक यह ज्ञापन देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि सभा को पेश कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे है कि वह हमारी रक्षा के लिए आवश्यक कानून बनाये ।

2. निर्माण कार्य सभ्यता का पर्याय कहा जाता है निर्माण मानव-मात्र की एक ऐसी सामूहिक गतिविधि है जो शेष सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को सम्भव बनाती है । छोटे-बड़े आवासों, छोटी-बड़ी इमारतों, उर्जा उत्पादन के साधनों उद्योगों व सड़क, रेल की पटरियों को बिछाने आदि में निर्माण कार्य का महती योगदान सदैव से रहा है और आज भी है । हमारे पूर्वजों व हमारे हाथों के अथक परिश्रम के परिणाम स्वरूप ही आज के सारे कार्य- कलाप, चल रहे है । सूक्ष्म परमाणुओं व आकाश मण्डल के संगीत को अध्ययन स्थलिया तथा सभी के जीवन व जीवन व्यापार को प्रभावित करने वाली विधि निर्मात्री विधान सभाएं व संसद सब तो निर्माण श्रमिक साधना का ही प्रताप है। अतः हम निर्माण श्रमिकों के लिए तत्काल आश्वयक कानून बनाया जाना जरूरी है ।

3. यह तथ्य निर्विवाद है कि हमारे देश में जो आर्थिक कार्य सम्पन्न हो रहा है, उसमें निर्माण कार्य का स्थान अन्यतम है । विश्वस्त अध्ययनों के अनुमान के अनुसार लगभग दो करोड़ श्रमिक व्यवस्थित रूप से निर्माण गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। निर्माण कार्य की निरन्तर वृद्धि को देखते हुए यह संख्या और भी बढ़ जाने के आसार है । इतनी बड़ी औद्योगिक गतिविधि को नियंत्रित करने के लिए कोई भी विधान नहीं है और न ही इस उद्योग से जुड़े हम श्रमिकों के रोजगार को नियमित करने वाले नियम ही है । हमारे लिए सामाजिक सुरक्षा व कल्याण की तो चर्चा करना ही, वर्तमान संदर्भों में व्यर्थ है ।

4- इन परिस्थितियों में अपनी रोटी की सुरक्षा के लिए हम लम्बे अर्से से सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं । वर्तमान श्रम कानून व नियम निर्माण श्रमिक व निर्माण उद्योग पर किसी भी प्रकार से लागू नहीं किये जा सकते हैं । इन कानूनों में छोटी मोटी फेर बदल से भी हमारी समस्याओं का समाधान सम्भव नहीं है । इस दृष्टि से एक समुचित केन्द्रीय कानून की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता ।

5. यहां हम यह भी बताना चाहेंगे कि वर्तमान श्रम कल्याण नियम निम्न कारणों से पूर्णत: अनुपयुक्त व अपर्याप्त हैं :-

क- निर्माण कार्य से सम्बन्धित श्रम अन्य गतिविधियों से सर्वथा भिन्न है, निर्माण कार्य में मालिक-मजदूर का रिश्ता और कार्य स्थल दोनों ही हमेशा बदलते रहते है । जबकि वर्तमान श्रम कानून स्थाई मालिक - मजदूर रिश्ते को ही ध्यान में रख कर बनाए गए हैं ।

ख- निर्माण कार्य एक उद्योग के रूप में किसी भी विधि या कानून से नियंत्रित नहीं है ।

ग- ऐसी कोई एजेन्सी या प्राधिकरण वर्तमान व्यवस्था में नहीं है जो निर्माण श्रमिक को कल्याण सुविधाएं उपलब्ध कराये या उनके रोजगार को संरक्षण प्रदान करे साथ ही वर्तमान व्यवस्था में निर्माण कार्य में संलग्न एजेन्सियों, ठेकेदारों, सरकारों, संगठनों आदि के लिए मजदूर जुटाने तथा कार्य की श्रेष्ठता सुनिश्चित करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है ।

घ- देश के विभिन्न हिस्सों में हमारा अनुभव बताता है कि प्रसूति लाभ अधिनियम, कामगार मुआवजा कानून भविष्य निधि योजना , काम करते हुए अपंग हो जाने की अवस्था में मुआवजा जैसे कल्याणकारी कानूनों से हमें इसलिए लाभ नहीं होता है क्योंकि स्थाई मालिक-मजदूर रिश्तों के आधार पर बनाये गये है ।

अत: निर्माण श्रमिकों के संदर्भ में वर्तमान कानूनों की चर्चा ही व्यर्थ है और जो उनकी चर्चा करते है, वस्तुत: वे हमारी स्थिति को नहीं समझते है ।

6- इसकी तार्किक परिणति यह है कि जब तक निर्माण उद्योग को किसी प्राधिकरण/संस्थान या बोर्ड द्वारा नियमित नहीं किया जाता, हम निर्माण श्रमिक किसी प्रकार के कानूनी संरक्षण नहीं रहने के कारण बधुआ मजदूर जैसा जीवन बिताते रहेंगे । वर्तमान स्थिति हम निर्माण श्रमिकों को सभी संवैधानिक सरक्षणों से वंचित रखती है जबकि संविधान के चौथे अनुच्छेद में प्रशासन को निर्धन व निर्बल समुदायों के जीवन को मनुष्य जैसी जीने की हालत पैदा करने की कोशिश करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है ।

7. इस यर्थाथ को आत्मसात् करने के बाद कि हमारे लिए एक पृथक समुचित कानून व उसको लागू करने के लिए एक स्वनियमित एजेन्सी की तत्काल आवश्यकता है, हमने और हमारे प्रतिनिधियों ने ऐसे कानून के सम्भावित स्वरूप पर भी विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया है ।

8- इस चर्चा से ही विधेयक का संलग्न प्रारूप विकसित हुआ है जिसके मुख्य तत्व इस प्रकार है:-

अ- निर्माण श्रमिक बोर्ड की स्थापना, जिसमें सरकार, मालिकों व निर्माण श्रमिकों का प्रतिनिधित्व हो । यह बोर्ड समस्त निर्माण गतिविधि तथा निर्माण श्रमिकों के रोजगार को इस सिद्धान्त पर नियमित करेगा कि वह ठेकेदारों, मालिकों व मजदूरों का पंजीकरण करेगा । अधिनियम के प्रभाव क्षेत्र से बाहर कोई भी निर्माण गतिविधि कभी सम्पन्न नहीं किया जाये ।

ब- स्वयं अथवा ठेके पर निर्माण श्रमिक से कार्य लेने वाले, निजी तथा सामूहिक रूप से "निर्माण लेवी" "कल्याण लेवी" प्रसूति लाभ, भविष्य निधि, दुर्घटना बीमा, आदि देने के लिए उत्तरदायी होंगे। निर्माण श्रमिक बोर्ड यह सब लेवी एकत्र करेगा और श्रमिकों को इसके समुचित लाभ दिलवायेगा ।

...4...

स- निर्माण श्रमिक बोर्ड में वेतन क्रम, सुरक्षा प्रबन्ध, तथा कल्याण कोष निर्धारित करने का अधिकार निहित होगा ।

द- निर्माण श्रमिक बोर्ड विवादों के तुरन्त निबटारे के लिए विभिन्न प्रकार की पंचायतों की स्थापना करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि काम की गुणवत्ता उन्नत हो ।

9- केन्द्र तथा राज्य सरकारें निर्माण श्रमिकों की सबसे बड़ी नियोक्ता हैं और इन दिशाओं में उनका बड़ा दायित्व है । प्रस्तावित कानून उन पर भी लागू होगा ।

10- केन्द्र सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता तथा निर्माण उद्योग पर राष्ट्रीय समिति के गठन को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा गया है कि सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न दृष्टि कोणों व विचारों को एक विधेयक के प्रारूप में व्यस्त किया जाए जिससे सरकार को उस पर विचार करने व उसे संसद में पेश करने में सुविधा हो।

11- इस सम्बन्ध में कोई दो राय नहीं है कि यह सरकार का कर्तव्य और दायित्व है कि वह शीघ्र ऐसे कानून बनाये जिससे हम निर्माण श्रमिकों की दशा सुधार जो बंधुआ मजदूरों जैसी जिन्दगी बिता रहे हैं । यह सरकार की घोषित समाजवादी नीति के अनुरूप होगा ।

12- संलग्न विधेयक का प्रारूप, हम निर्माण श्रमिकों, हमारे प्रतिनिधियों व सहानुभूति रखने वाले विधिवेत्ताओं के विस्तृत विचार विमर्श का प्रतिफलन है । यह तमाम उपेक्षित नागरिकों की अकाट्य तर्कों व असंदिग्ध मानव आवश्यकताओं पर आधारित महत्वाकांक्षाओं को प्रतिध्वनित करता है ।

13- हम इस बात को जोर देकर कहते हैं कि वर्तमान श्रम कानूनों में काम-चलाऊ फेर बदल में हमारी कोई आस्था नहीं है । इनसे हमारा कोई भला नहीं हो सकता । यदि न्याय के सम्मुख समानता के सिद्धान्त की कोई भी सार्थकता है तो संसद को हमारे मसले पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए । प्रस्तावित विधेयक मालिकों व मजदूरों दोनों की संतुष्टि की दृष्टि से आदर्श है ।

14- संलग्न विधेयक के प्रारूप में निर्माण उद्योग की विशिष्ट प्रकृति पर आधारित विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखा गया है । इसमें विवादों के निबटारे की स्वनिहित व्यवस्था का प्रावधान भी है जो विवादों के शीघ्र निबटारे को सम्भव बनायेगा ।

15- यदि मानव सम्बन्धों को शोषण विहीन व्यवस्था का तर्क विधि निर्माण का कर्तव्य है और यदि संविधान की धारा 39, 42, व 43 मात्र कोरे शब्द और चुनाव की लफ्फेबाजी नहीं है तो निर्माण श्रमिकों के लिए प्रस्तावित विधेयक को संसद की तत्काल कार्यवाही में स्थान अवश्य मिलेगा ।

हम आपसे इस उपरोक्त आशय का कानून जल्दी से जल्दी स्वीकार करने का अनुरोध करते है ।